

13	The upper age limit mentioned above, for the person who is continuously working on contract basis as Ayurved Chikitsadhikari, Homoeopathy Chikitsadhikari, Unani Chikitsadhikari in Government, Chief Minister BPL Jeevan Raksha Kosh, National Rural Health Mission shall be relaxed by the period equal to the service rendered by him subject to maximum of five years. (पद क्र.सं. 6 से 8 तक के लिए)
----	--

नोट –

- (1) उपरोक्त वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान असंचयी (Non Cumulative) हैं, अर्थात् अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट को लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।
- (2) ऊपरी आयु सीमा में छूट का लाभ शासन से प्राप्त पदों के वर्गीकरण (Category wise) के अनुसार ही देय होगा अर्थात् अगर किसी वर्ग (Category) के लिए कोई पद आरक्षित नहीं होगा तो उस वर्ग के अभ्यर्थी को ऊपरी आयु सीमा में तत्सम्बन्धी छूट का लाभ देय नहीं होगा।
- (3) राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ. 7/6/कार्मिक/ए-II/2008 के क्रम में जारी अधिसूचना के अनुसार जिस भर्ती की वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के पदों के लिए भर्ती नहीं हुई हो और यदि कोई अभ्यर्थी उस वर्ष की आयु की दृष्टि से पात्र था, तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जायेगा, किन्तु यह छूट तीन वर्ष से अधिक नहीं दी जाएगी।
- पूर्व में सहायक अभियंता (यांत्रिक) व कनिष्ठ रसायनज्ञ के पदों हेतु आयु की गणना दिनांक 01.01.2012 को /सहायक अभियंता (सिविल) के लिए दिनांक 01.01.1981 को /कनिष्ठ भू जल वैज्ञानिक के लिए दिनांक 01.01.1996 को तथा तकनीकी सहायक (रसायन) के लिए दिनांक 01.01.1997 को की गई थी। तत्पश्चात् इन पदों का कोई विज्ञापन आयोग द्वारा जारी नहीं किया गया था। अतः राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23-09-2008 के अनुसार जो अभ्यर्थी दिनांक 01.01.2015 को अधिकायु के होते हैं, उन्हें उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में क्रमशः पद क्रम संख्या 1 व 4 के लिए दो वर्ष की छूट तथा पद क्रम संख्या 2, 3 एवं 5 के लिए तीन वर्ष की छूट देय होगी। राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ. 7/6/कार्मिक/ए-II/2008 दिनांक-23.09.2008 के अनुसार पद क्रम संख्या 6 से 8 तक के पदों हेतु उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में कोई छूट देय नहीं होगी क्योंकि उक्त पद आयोग द्वारा प्रथम बार विज्ञापित किए जा रहे हैं।

अन्य विवरण

शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान (पद क्रम संख्या 1, 2, 3, 5, 6, 7 एवं 8 हेतु)	उक्त पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किन्तु उसे आयोग द्वारा आयोजित साक्षात्कार से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा, अन्यथा वह अपात्र होगा। स्पष्टीकरण:- उक्त सुविधा का वे ही अभ्यर्थी उपभोग कर सकेंगे, जो आवेदक आवेदन-पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक पद की वांछित योग्यता की परीक्षा के अन्तिम वर्ष में प्रवेश ले चुके होंगे।
चयन प्रक्रिया	अभ्यर्थियों का चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जायेगा। यदि विज्ञापन के आधार पर प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होगी तो आयोग संवीक्षा परीक्षा आयोजित कर अभ्यर्थियों की संख्या यथोचित सीमा तक कम कर सकता है। संवीक्षा परीक्षा अजमेर में आयोजित किए जाने की संभावना है। आयोग अपने स्वयंविक से परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन भी कर सकता है। संवीक्षा परीक्षा तिथि की घोषणा यथासमय कर दी जाएगी।
संवीक्षा परीक्षा योजना व पात्रयक्रम	यह संवीक्षा परीक्षा वस्तुनिष्ठ लिखित रूप में ली जायेगी। सभी प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा।
आवेदन अवधि	दिनांक 01-12-2014 से दिनांक 30-12-2014 तक 12-00 बजे तक

(आरक्षण की स्थिति एवं नियुक्ति प्रक्रिया राज्य सरकार के निर्देशों एवं नवीनतम नियमों के अध्यधीन परिवर्तनीय होगी। इस प्रकार संबंधित सेवा नियमों में यदि कोई संशोधन होता है, तो भर्ती/परीक्षा उसके अनुसार आयोजित की जाएगी, जिसके लिए यथासमय अधिसूचित कर दिया जाएगा।)

विशेष नोट :- डिप्लोमा धारी अभ्यर्थी ऑन लाईन फॉर्म भरते समय सीनियर सैकेण्डरी अथवा स्नातक के कॉलेज में अपने डिप्लोमा का उत्तरीण वर्ष भरें।

विशेष सूचना :- “यदि कोई अभ्यर्थी अपने Online आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात् 30 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क देकर Online/Offline संशोधन कर/करवा सकता है। आवेदन पत्र में संशोधन एवं विकलांग/विधवा के वर्ग में संशोधन के संबंध में आयोग की वेब-साईट पर उपलब्ध Instruction for Applicants में अभ्यर्थियों के लिए आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा-निर्देश के तहत आवेदन प्रक्रिया संबंधी सामान्य दिशा-निर्देश के बिन्दु संख्या 7 (ऑन लाईन आवेदन संशोधन की प्रक्रिया) एवं ‘Guidelines for Edit Application’ का अध्ययन आवश्यक रूप से कर ले एवं उक्त निर्देशों में अंकित अंतिम दिनांक तक ही संशोधन स्वीकार्य होंगे इसके पश्चात् किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण वायित्व अभ्यर्थी का ही होगा।”

अन्य विशेष नोट :- परीक्षा शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य विशेष नोट सूचना तथा सम्बन्धित सेवा नियमों का अध्ययन आवश्यक रूप से कर ले। इसके अतिरिक्त समय-समय पर जारी इस परीक्षा से संबद्ध सूचनाओं का आयोग की वेबसाइट <http://www.rpsc.rajasthan.gov.in> पर <http://rpsconline.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के परिसर में रिथित स्थानगत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूसरा सं-0145-5151212 एवं 5151200 पर सम्पर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार संविवेचन, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को सम्बोधित किया जाए।

(नरेश कुमार ठकराल)
सचिव

क्रमांक : संयुक्त विज्ञापन सं.- 05/भर्ती/2014-15/906

दिनांक : 27.11.2014

प्रतिलिपि :- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय, राजस्थान, जयपुर को आयोग का विस्तृत संयुक्त विज्ञापन संख्या – 05/भर्ती/2014-15 राजस्थान रोजगार सन्देश, जयपुर के नवीनतम संस्करण में केवल एक बार प्रकाशित कराने हेतु भेजा जाता है।

उपसचिव